

डिग्री व मुकदमें ईत्दादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-10/2019

1. अमनदीप } पि० धर्मपाल जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. राजेश } टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. धर्मपाल पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील टिब्बी
जिला हनुमानगढ। प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रायसिंह भाकर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संदीप कस्वां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किप्रतिवादी के नाम से चकनं० 14 डीबीएल के खाता सं० 113/84 के प०न० 182/364 मु० 26 किलानं० 1/.240 मय .013 है० खाला, 2/.240 मय .013 है० मय खाला, प०न० 182/363 मु० 10 किलानं० 2,9,12,19/1.012, 20/2/.236, 22/2/.236, 21/2/.236, प०न० 175/365 मु० 46 किलानं० 8/2/.127, 12/1/.126, 13,18,19/.759, 21/2/.190, 22,23/.506 कुल 3.908 है० मय .026 है० खाला व चकनं० 8 एम.जैड डबल्यू के खाता सं० 146/127 के प०न० 174/366 मु० 1 किलानं० 5/.253, प०न० 175/366 मु० 2 किलानं० 1/.102 कुल 1.367 है० आराजी के वादीगण को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चकनं० 8 एमजैड डबल्यू के खातासं० 146/127 व चकनं० 14 डीबीएल के खाता सं० 113/84 मे से प्रतिवादी धर्मपाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....०८-०९-२०१९....को
जारी किया गया।

(मीनू वर्मा) एवं
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी